जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2025 / डी– 401 दिनांकः– 15/4/2026

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
जरिये मुख्त्यारआम,
श्री अनन्त मेहता,
खसरा नम्बर 111/2 (पार्ट–बी),
ग्राम बृजलालपुरा, जयपुर

विषयः– खसरा नम्बर 111/2 (पार्ट–बी), ग्राम बृजलालपुरा, जयपुर के प्रस्तावित व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 324वीं बैठक दिनांक 27.05.2025 एवं 339वीं बैठक दिनांक 17.03.2026 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	4582.21 व.मी.	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	48 मी.	
3.	लीजडीड जारी दिनांक	21.08.2023	**भू–उपयोगः–** व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत, सी.ए. / 97 / 22030	
7.	वार्ड नम्बर	64	
8.	पिन कोड नम्बर	302019	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से एयरपोर्ट एनओसी की वैध अवधि दिनांक 08.10.2031 तक प्रभावी होगी एवं यदि एयरपोर्ट एनओसी की वैधता अवधि बढाई जाती है तो उक्त बढाई गई अवधि अथवा मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक प्रभावी होगी।				
2.	सैटबैक	सामने–I	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे	
		12.00 मी.	10.00 मी.	10.00 मी.	10.00 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	35,339.96 व.मी.				
4.	बी.ए.आर.	4.98 (22,843.27 व.मी.)				
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	38.52 प्रतिशत (1765.22 व.मी.)				
6.	ऊँचाई	1.20 मी. (प्लिन्थ) + 39.46 मी. (भूतल + 10 तल) = 40.66 मी. + 3.35 मी. (ममटी / मशीन रूम / रूफ टॉप) कुल 44.01 मी.				
7.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		230	60	300	–	390 ईसीयू

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	324वीं बैठक दिनांक 27.05.2025 एवं 339वीं बैठक दिनांक 17.03.2026

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 09.10.2023 के अनुसार 65 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 08.10.2031 तक है। साईट

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2026.04.15 18:11:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21524258
eSign 1.0

		कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:–	
		26°52'48.8"N	75°45'40.6"E

सामान्य शर्ते:–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–05, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से एयरपोर्ट एनओसी की वैध अवधि दिनांक 08.10.2031 तक प्रभावी होगी एवं यदि एयरपोर्ट एनओसी की वैधता अवधि बढाई जाती है तो उक्त बढाई गई अवधि अथवा मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक प्रभावी होगी।
4. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
5. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
6. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
10. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
11. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।

RajKaj Ref No.:
21524258
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2026.04.15 18:11:32 IST
Reason: Approved

14. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
15. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
16. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
17. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
18. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
19. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
20. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
21. भवन विनियम–2020 के बिन्दु संख्या 10.3.2(ix) की अनुपालना में "30 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चर डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकिविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।"
22. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
23. प्रकरण में भवन मानचित्रों में 3 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें आवागमन हेतु रैम्प भूखण्ड की सीमा से 3 मीटर से कम दूरी पर प्रस्तावित है। अतः बेसमेन्ट/रैम्प की खुदाई एवं भवन निर्माण के दौरान पडौसी भूखण्डधारियों को किसी प्रकार की हानि/क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा या हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
24. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
25. प्रकरण में द्रव्यवती नदी की बाहरी सीमा से 30 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।
26. भवन विनियम–2020 एवं एनबीसी के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
27. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग की अनापत्ति नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
29. रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.01.2020 में वर्णित समस्त मानदण्डों की पालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।
30. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्तें:–

1. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 12.11.2032 तक

RajKaj Ref No.:
21524258
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2026.04.15 18:11:32 IST
Reason: Approved

प्रभावी होगी।

2. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार चार उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
HDFC BANK	000347	2,51,69,084/–	द्वितीय	16.12.2025
	000348	2,51,69,084/–	तृतीय	16.06.2026
	000349	2,51,69,084/–	चतुर्थ	16.12.2026
	000350	2,51,69,084/–	पंचम	16.06.2027

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की **अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।**

3. आप द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 60 लाख रूपये की बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक, HDFC Bank Limited, O-10, Ashosk Marg, C- Scheme, Jaipur) नम्बर 054GT02252340002 Dated 22.08.2025 की वैद्यता अवधि दिनांक 21.09.2028 & Claim Expiry 21.09.2029 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेगा।
4. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (09 मानचित्र)

भवदीय

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन–05, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (09 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3:1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य प्रबन्धक, HDFC Bank Limited, O-10, Ashosk Marg, C- Scheme, Jaipur द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 60 लाख रूपये की बैंक गारन्टी 054GT02252340002 Dated 22.08.2025 की वैद्यता अवधि दिनांक 21.09.2028 & Claim Expiry 21.09.2029 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रकरण में बैंक गारन्टी लौटाई जावें।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2026.04.15 18:11:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21524258
eSign 1.0

SHEET NO.01

SITE - PLAN & CALCULATION TABLE

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

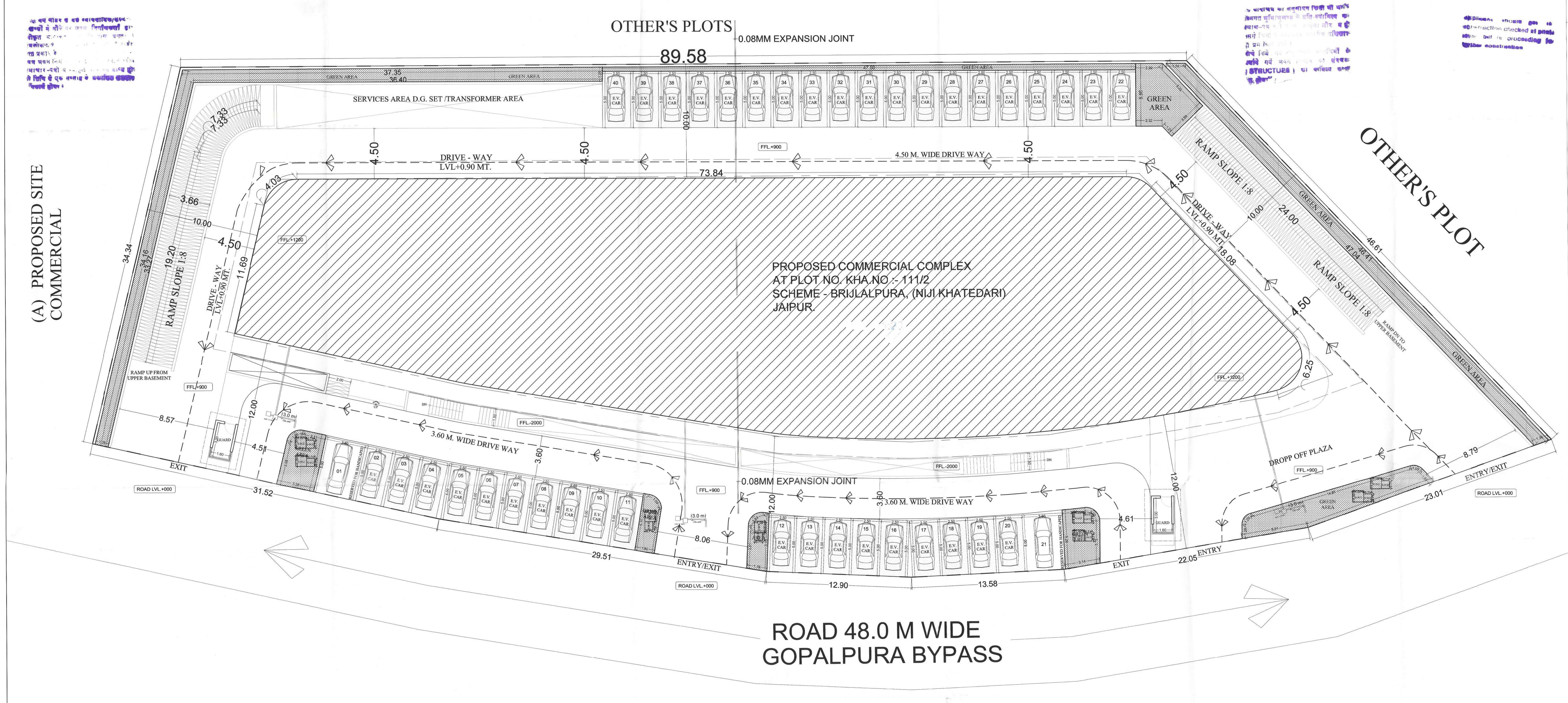

SITE - PLAN

PLOT AREA - 4582.21 SQ.MT.

STANDARD B.A.R = 4582.21 X 2 = 9164.42 SQ.MT.

B.A.R ACHIEVED = 22843.27 SQ.MT. (4.98)

MAXIMUM GROUND COVERAGE = 4582.21 X 0.40 = 1832.88 SQ.MT.

ACHIEVED COVERAGE = 1765.22 SQ.MT. (38.52%)

TOTAL HEIGHT OF THE BUILDING = PLINTH 1.20 + 39.46 MT. TERRACE FLOOR

25 % REQUIRED ROOF TOP RESTAURANT ALLOWED = 2148.70 X0.25 % = 537.17 SQ.MT.

ACHIEVED ROOF TOP RESTAURANT = 439.60 SQ.MT.

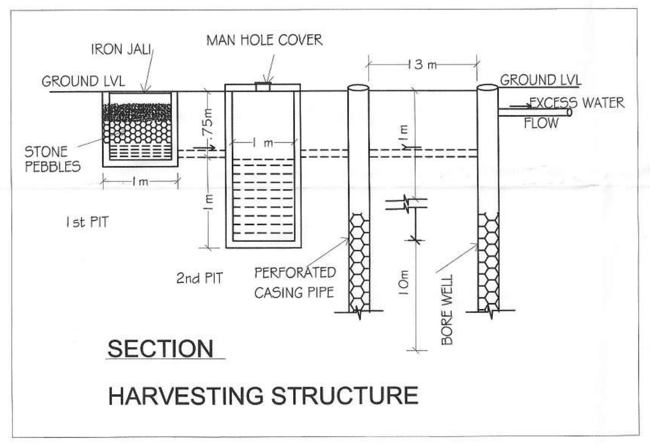

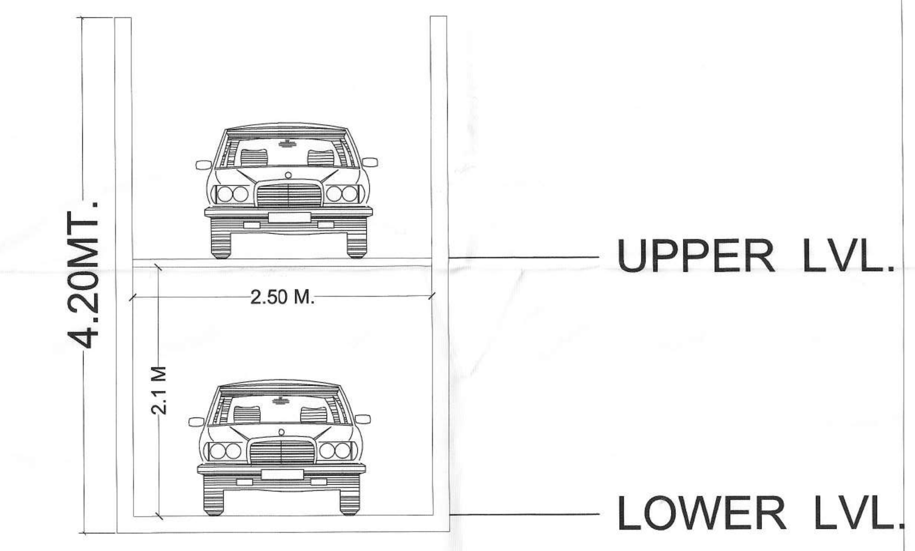

MECHANICAL CAR PARKING SECTION

AREA CALCULATION TABLE FOR COMMERCIAL

Sr. No.	FLOORS	BLOCK-AREA	CUT-OUT	GROSS BUILT UP SQ.MT.	FIRE ESCAPE STAIRCASE SQ.MT.	PROJECTION & &REFUSE	NET BUILT UP SQ.MT.	SERVICES & SHAFT SQ.MT.	LIFT WELL SQ.MT.	B.A.R. SQ.MT.
1	LOWER BASEMENT	3209.26	0	3209.26	0.00	0.00	3209.26	14.92	35.00	PARKING
2	MIDDLE BASEMENT	3390.58	0	3390.58	0.00	0.00	3390.58	368.45	35.00	PARKING
3	UPPER BASEMENT	3390.58	353.52	3037.06	0.00	0.00	3037.06	14.92	35.00	PARKING
4	LOWER GROUND	1789.17	0	1789.17	23.83	0.00	1765.34	15.77	35.00	1714.57
5	GROUND	1789.05	187.13	1601.92	23.83	0.00	1578.09	15.77	35.00	1527.32
6	FIRST FLOOR	2229.667	0	2229.66	23.83	440.61	1765.22	14.92	35.00	1715.30
7	SECOND FLOOR	2229.66	0	2229.66	23.83	219.94	1985.89	15.34	25.00	1945.55
8	THIRD FLOOR	2124.15	0	2124.15	23.83	114.34	1985.98	15.34	25.00	1945.64
9	FOURTH FLOOR	2148.7	0	2148.7	23.83	105.59	2019.28	15.34	25.00	1978.94
10	FIFTH FLOOR	2148.7	0	2148.7	23.83	105.59	2019.28	15.34	25.00	1978.94
11	SIXTH FLOOR	2148.7	0	2148.7	23.83	105.59	2019.28	15.34	25.00	1978.94
12	SEVENTH FLOOR	2124.15	0	2124.15	23.83	239.85	1860.47	15.34	25.00	1820.13
13	EIGHTH FLOOR	2052.36	0	2052.36	23.83	114.34	1914.19	15.34	25.00	1873.85
14	NINTH FLOOR	2229.66	0	2229.66	23.83	219.94	1985.89	15.34	25.00	1945.55
15	10 TH FLOOR	2148.7	0	2148.7	23.83	105.59	2019.28	15.34	25.00	1978.94
16	TERRACE FLOOR & ROOF TOP REST.	557.82	0	557.82	23.83	0.00	557.82	15.34	25.00	439.60
17	GUARD ROOM	13.6	0	13.60	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
18	D.G SET	156.11	0	156.11	0.00	0.00	156.11	156.11	0.00	0.00
19	TOTAL	35880.62	540.65	35339.96	309.79	1771.38	33282.62	754.26	460.00	22843.27

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

TOTAL B.A.R ACHIEVED = 22843.27 SQ.MT. (4.98)

ROOF TOP RESTAURANT B.A.R = 439.60 SQ.MT. / PARKING REQUIRED AS PER SEAT

COMMERCIAL PARKING $\frac{\text{BAR ACHIEVED}}{75} = \frac{22403.67}{75}$ = 298.71 E.C.U

25 % VISITOR PARKING EXTRA = 298.71 X 1.25 = 373.38 E.C.U

ROOF TOP RESTAURANT PARKING = 54 SEAT
ROOF TOP RESTAURANT PARKING = 54 /4 = 13.50 E.C.U PARKING REQUIRED

TOTAL REQUIRED PARKING = 373.38+13.50 = 386.88 E.C.U

75 % CAR PARKING REQUIRED = 386.88 X 0.75 = 290.16 E.C.U SAY = 290.00 CAR
25 % SCOOTER PARKING REQUIRED = 386.88 X 0.25 = 96.72 E.C.U SAY = 290.16 SCOOTER
10 % E.V. PARKING REQUIRED = 386.88 X 0.10 = 38.68 E.C.U (SAY = 39.00)
PARKING PROVIDED =

CAR PARK IN OPEN AREA = 40.00
CAR PARK IN UPPER BASEMENT = 62.00
CAR PARK IN MIDDLE BASEMENT = 62.00
CAR PARK IN LOWER BASEMENT = 66.00
MECHANICAL CAR PARKING = 60.00

TOTAL CAR PARK = 290.00 E.C.U.

SCOOTER PARK IN UPPER BASEMENT = 85 (28.33 E.C.U) SAY
SCOOTER PARK IN MIDDLE BASEMENT = 85 (28.33 E.C.U) SAY
SCOOTER PARK IN LOWER BASEMENT = 130 (43.33 E.C.U) SAY
TOTAL SCOOTER PARK = 300.00 SCOOTER (100.00 E.C.U.)

TOTAL PARKING PROVIDED = 290 + 100.00 = 390.00 E.C.U.

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-

SITE - PLAN & CALCULATION TABLE

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

वास्ते अशोक कुमार अग्रवाल
जरिये मुख्त्यारआम
(अनंत मेहता)

OWNER

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

ARCHITECT

(3) BASEMENT FLOOR PLAN

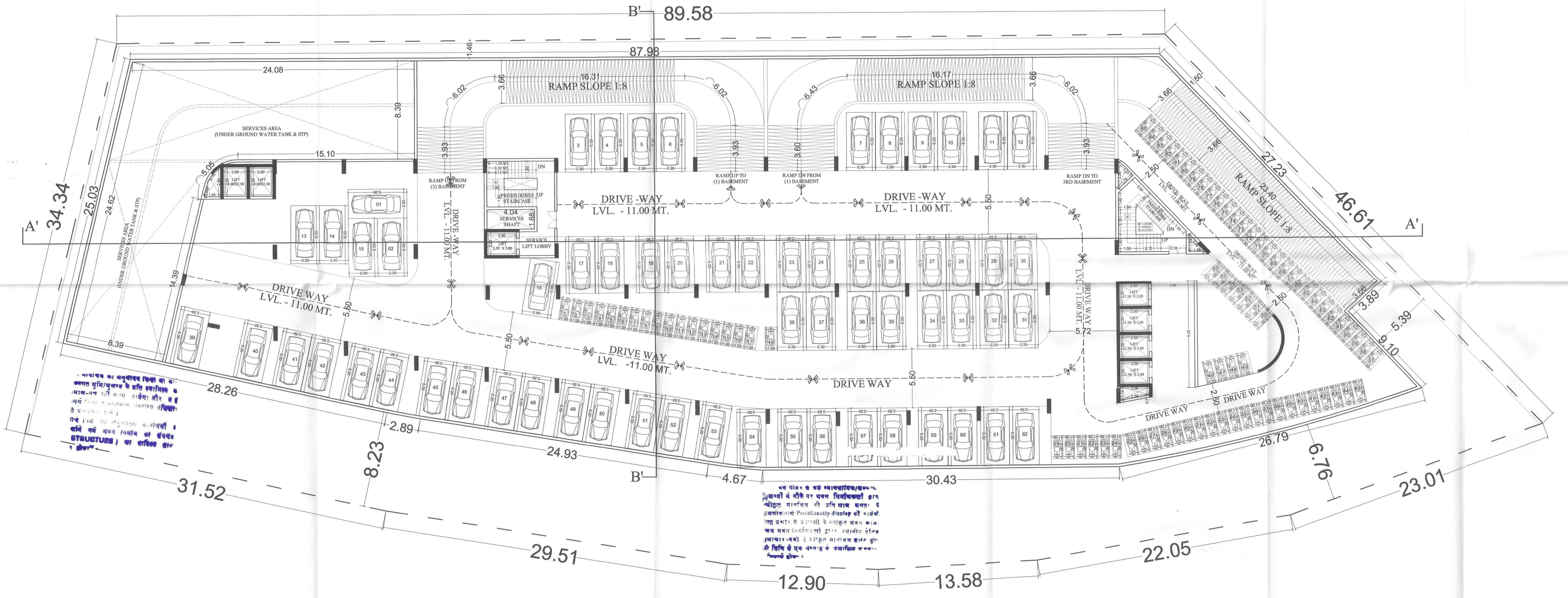

(2) BASEMENT FLOOR PLAN

SHEET NO.02

(3) & (2) BASEMENT FLOOR PLAN

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (SP) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

मुख्य नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
(3) & (2) BASEMENT FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO.03

(1) BASEMENT FLOOR PLAN &
LOWER GROUND FLOOR PLAN

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

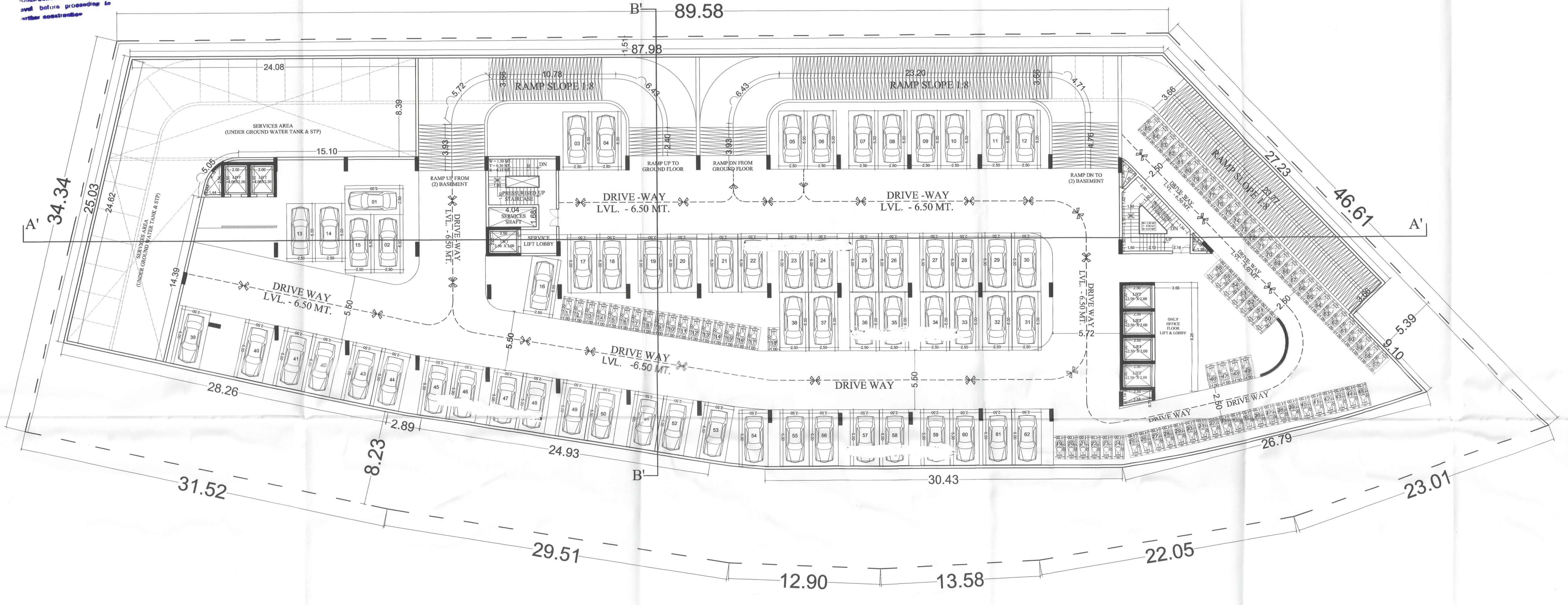

(1) BASEMENT FLOOR PLAN

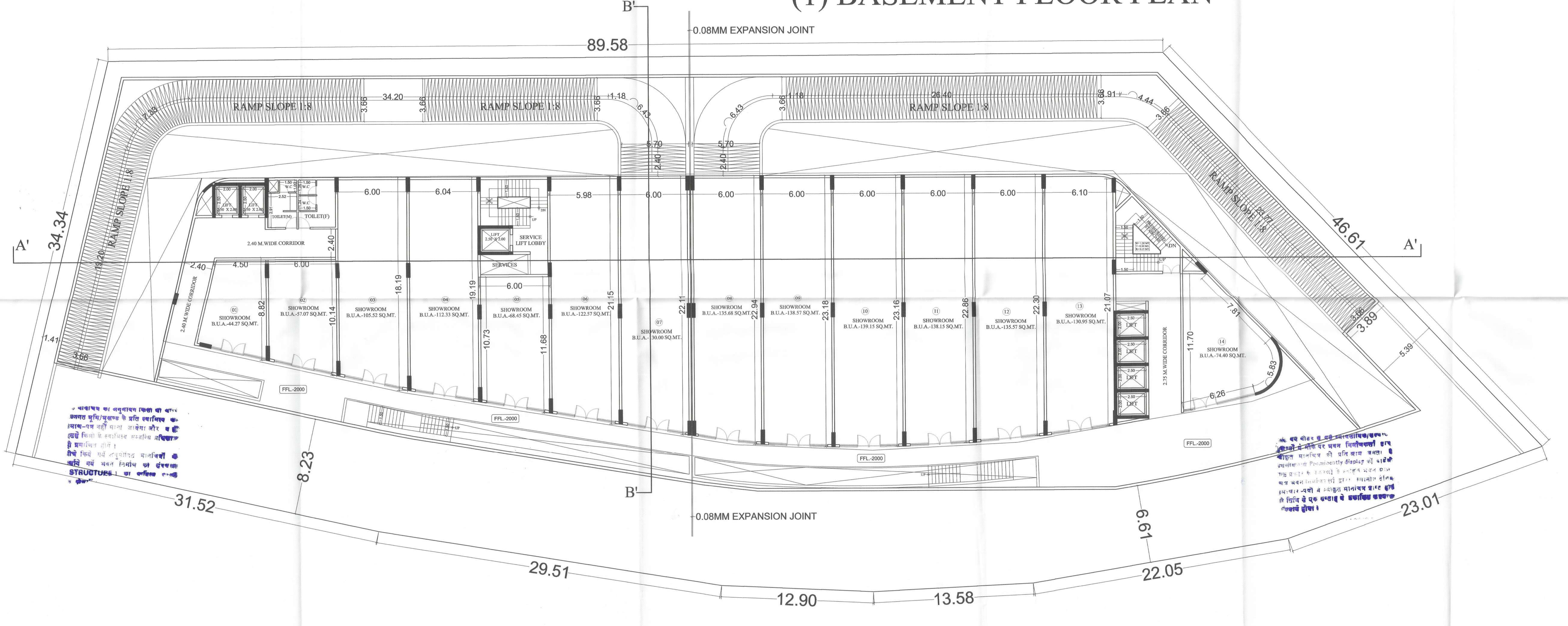

LOWER GROUND FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2(PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-

(1) BASEMENT FLOOR PLAN &
LOWER GROUND FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

OWNER

ARCHITECT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

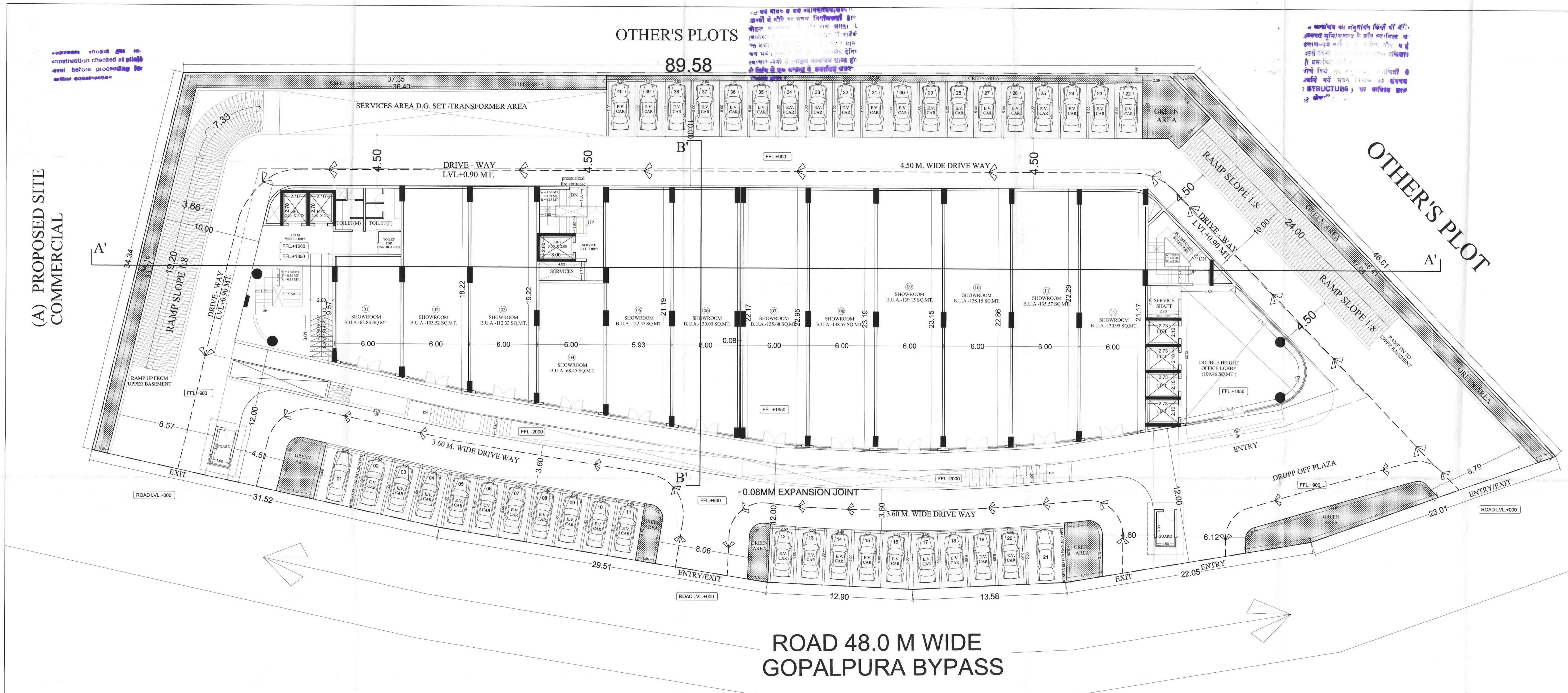

GROUND FLOOR PLAN

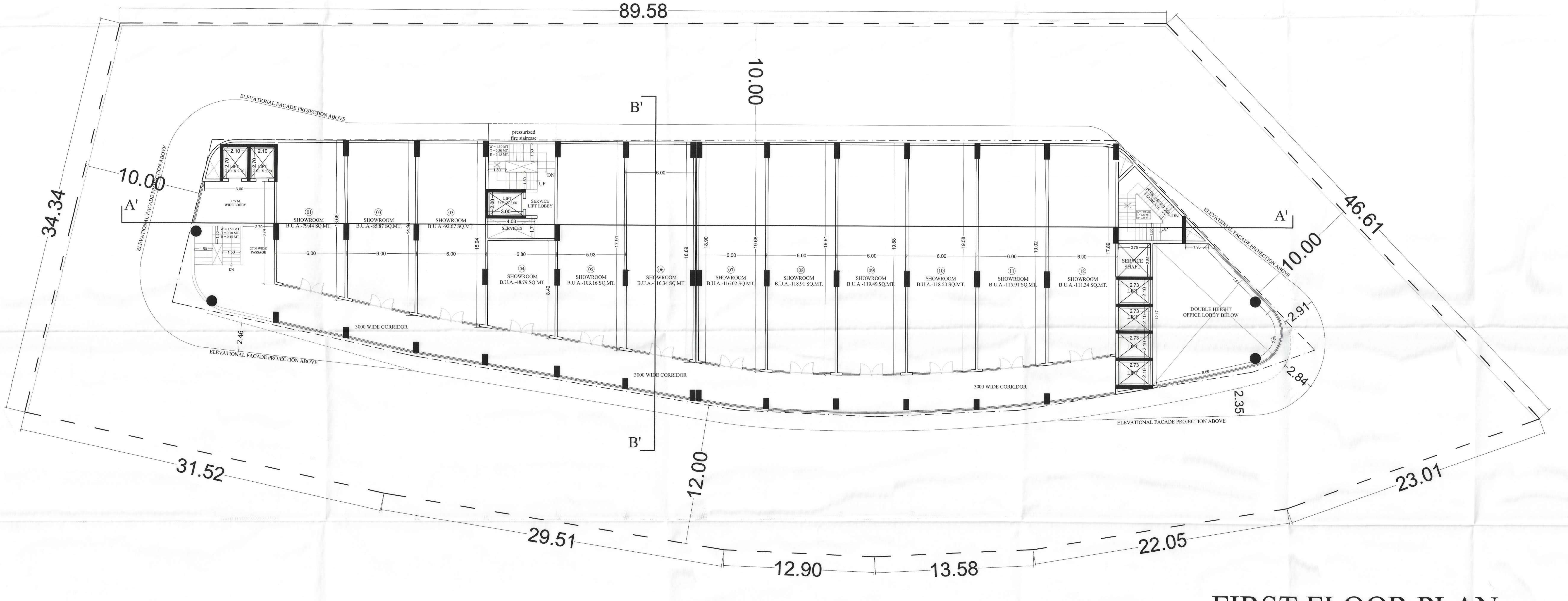

FIRST FLOOR PLAN

SHEET NO.04

GROUND FLOOR PLAN & FIRST FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
GROUND FLOOR PLAN & FIRST FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

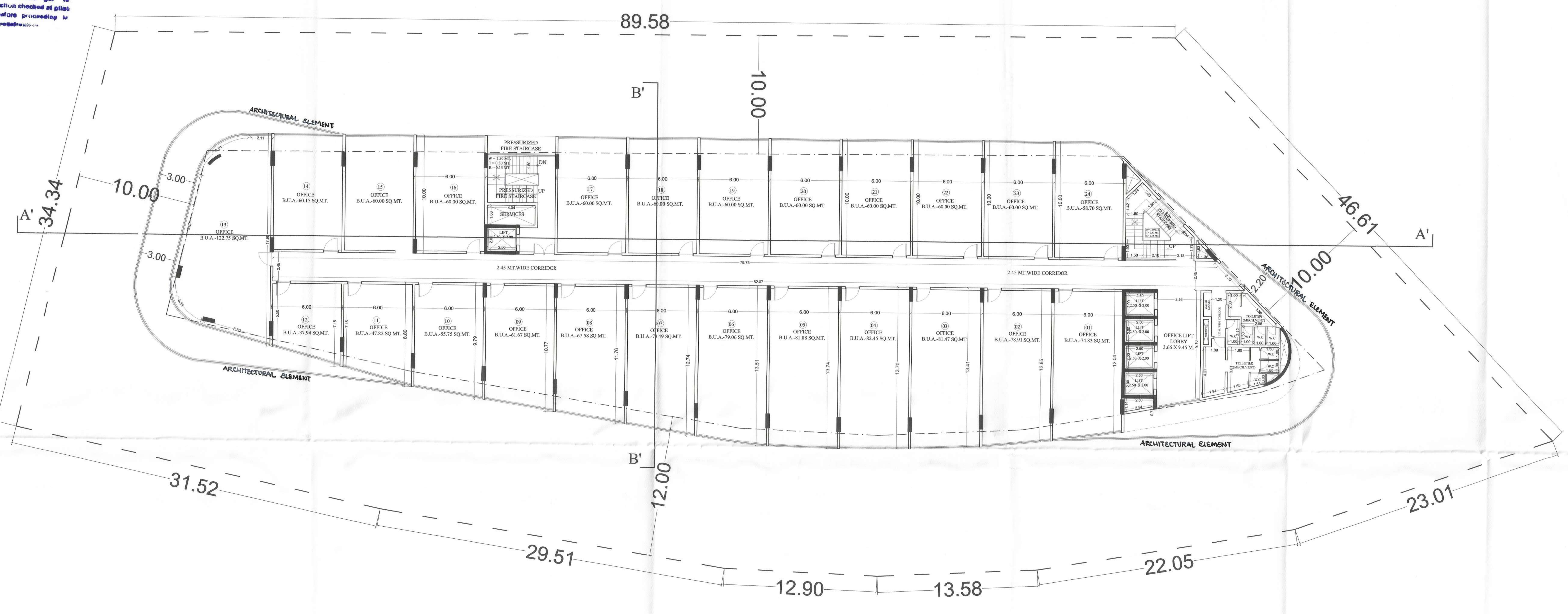

2ND & 9TH FLOOR PLAN

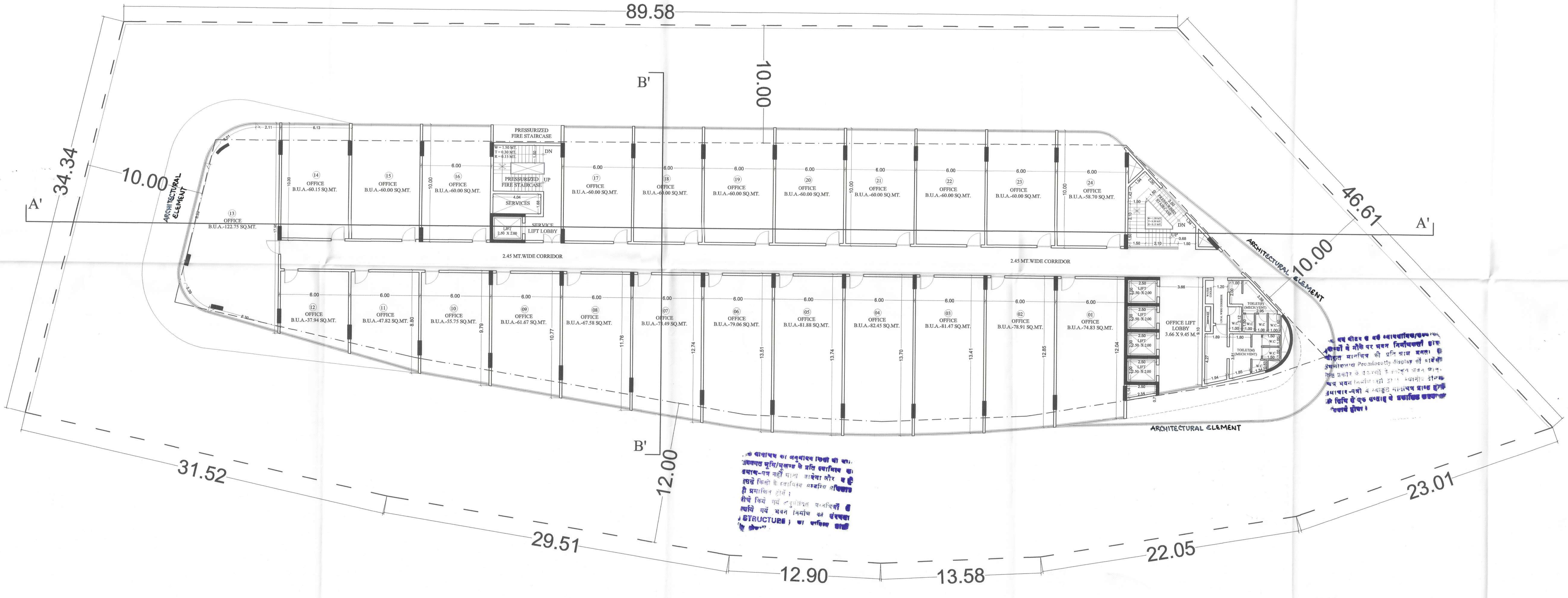

3RD FLOOR PLAN

SHEET NO.05

2ND & 9TH FLOOR PLAN &
3RD FLOOR PLAN

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
2ND & 9TH FLOOR PLAN &
3RD FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

वास्ते अशोक कुमार अग्रवाल
जरिये मुख्त्यारआम
(अनंत मेहता)

OWNER

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

ARCHITECT

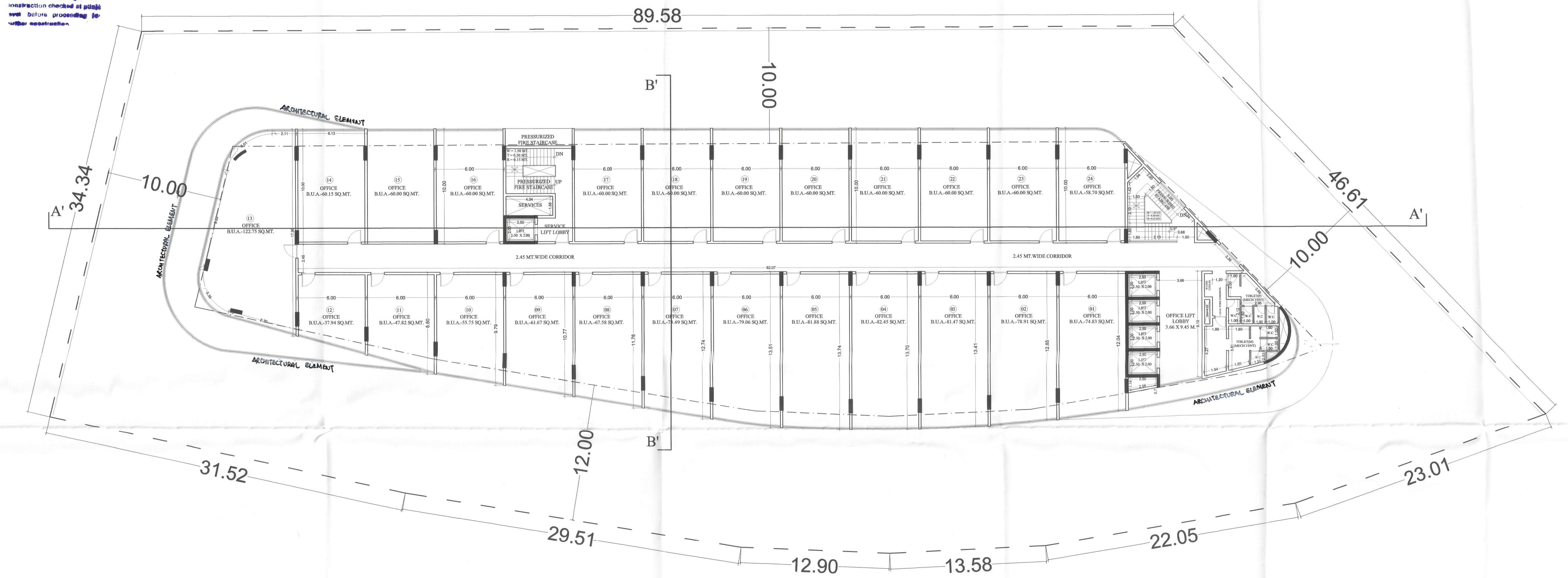

4th,5th,6th & 10th Floor Plan

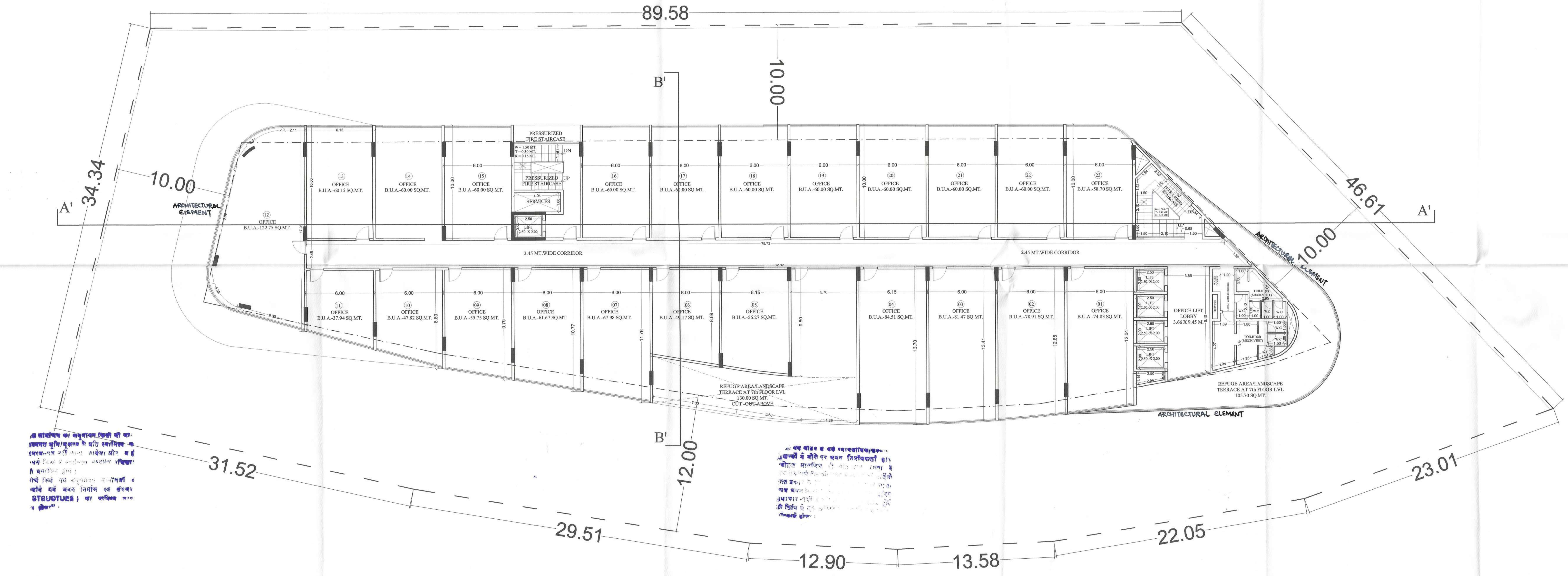

7TH FLOOR PLAN

SHEET NO.06

4TH,5TH,6TH & 10TH FLOOR PLAN
7TH FLOOR PLAN

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
4TH,5TH,6TH & 10TH FLOOR PLAN
7TH FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

वास्ते अशोक कुमार अग्रवाल
जरिये मुख्तारआम
(अनंत मेहता)

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

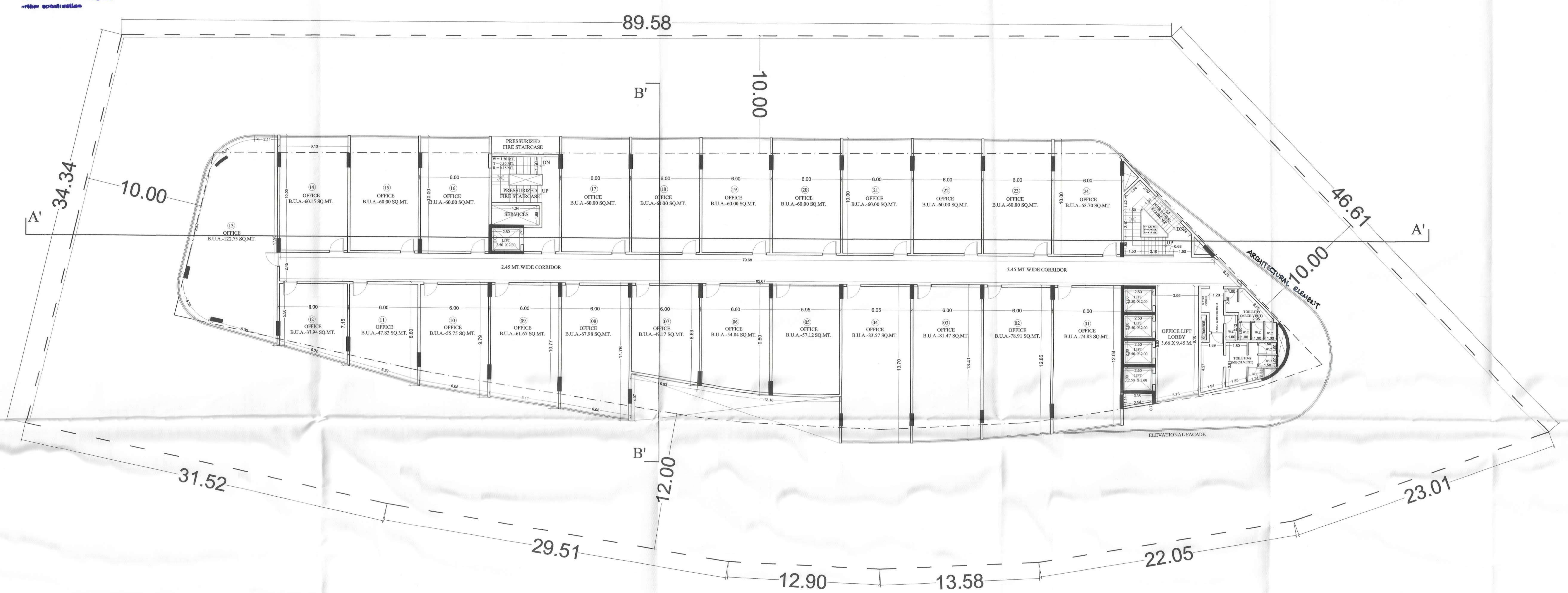

8TH FLOOR PLAN

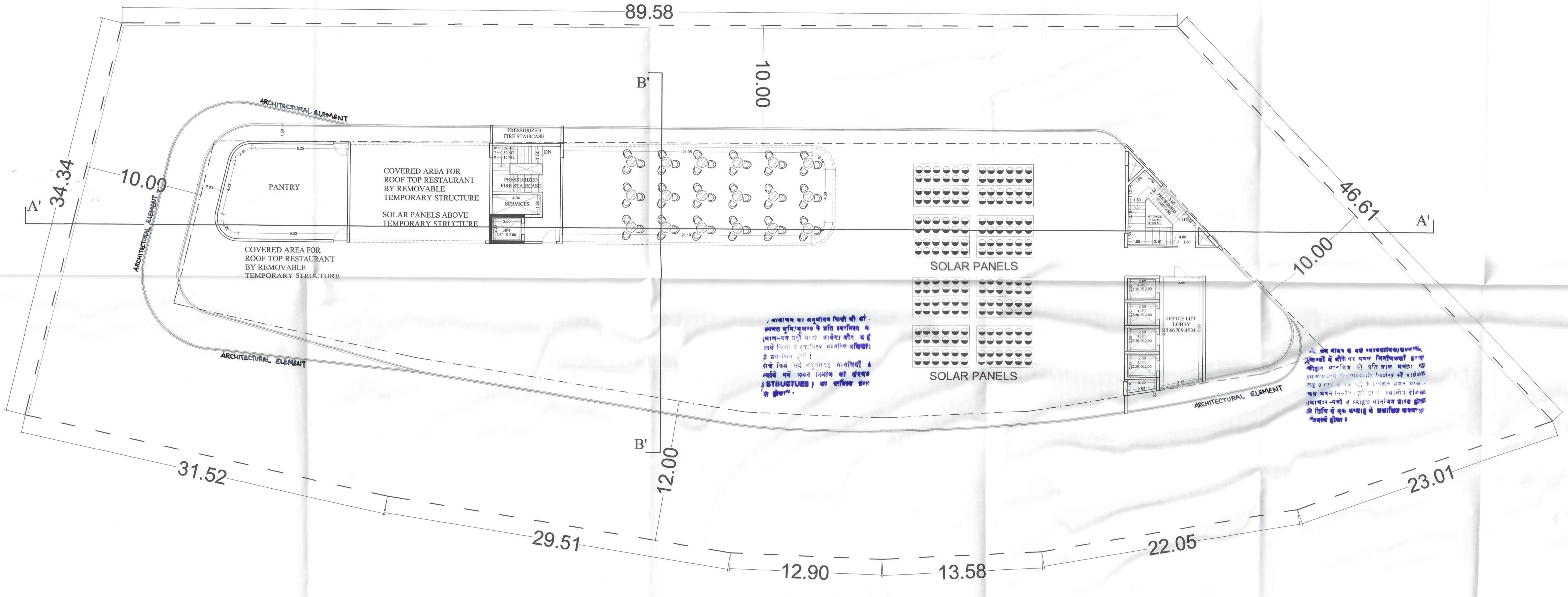

TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO.07

8TH & TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
8TH & TERRACE FLOOR PLAN

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

OWNER

ARCHITECT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

Applicant should get ... construction checked at plinth level before proceeding for further construction

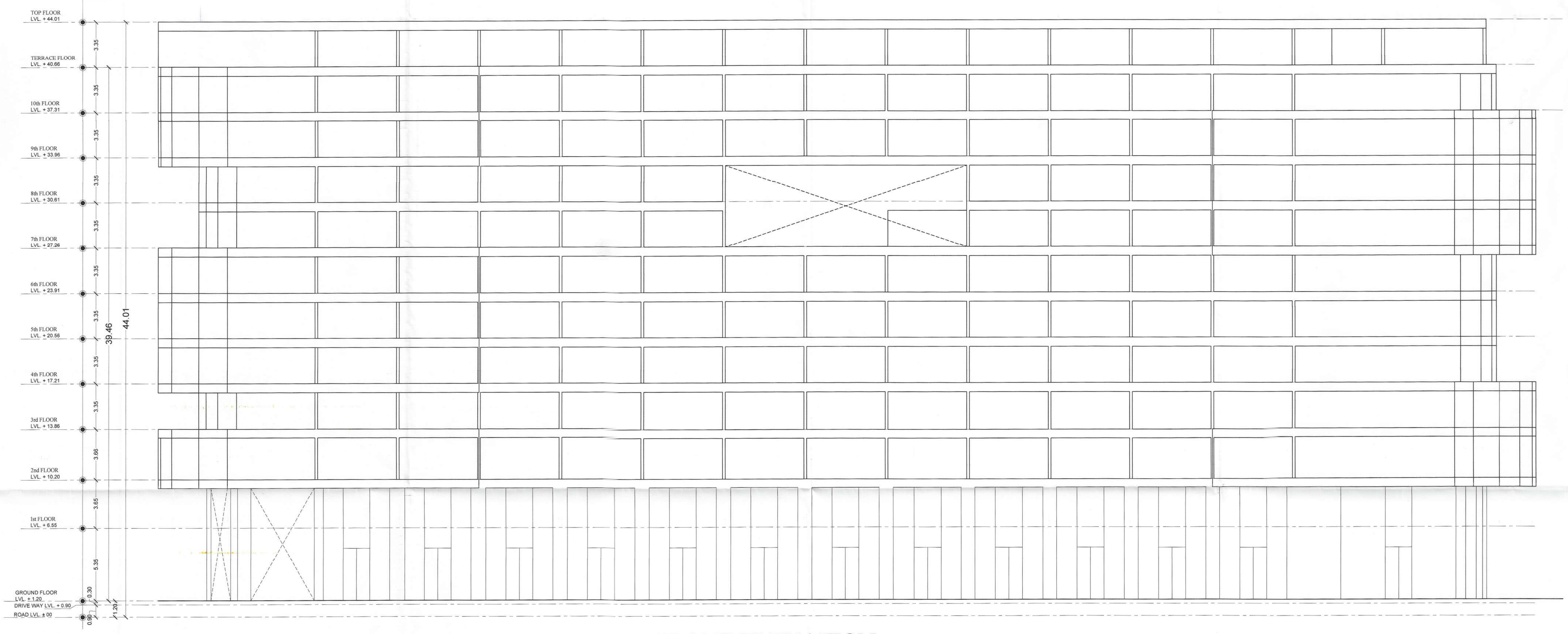

FRONT ELEVATION

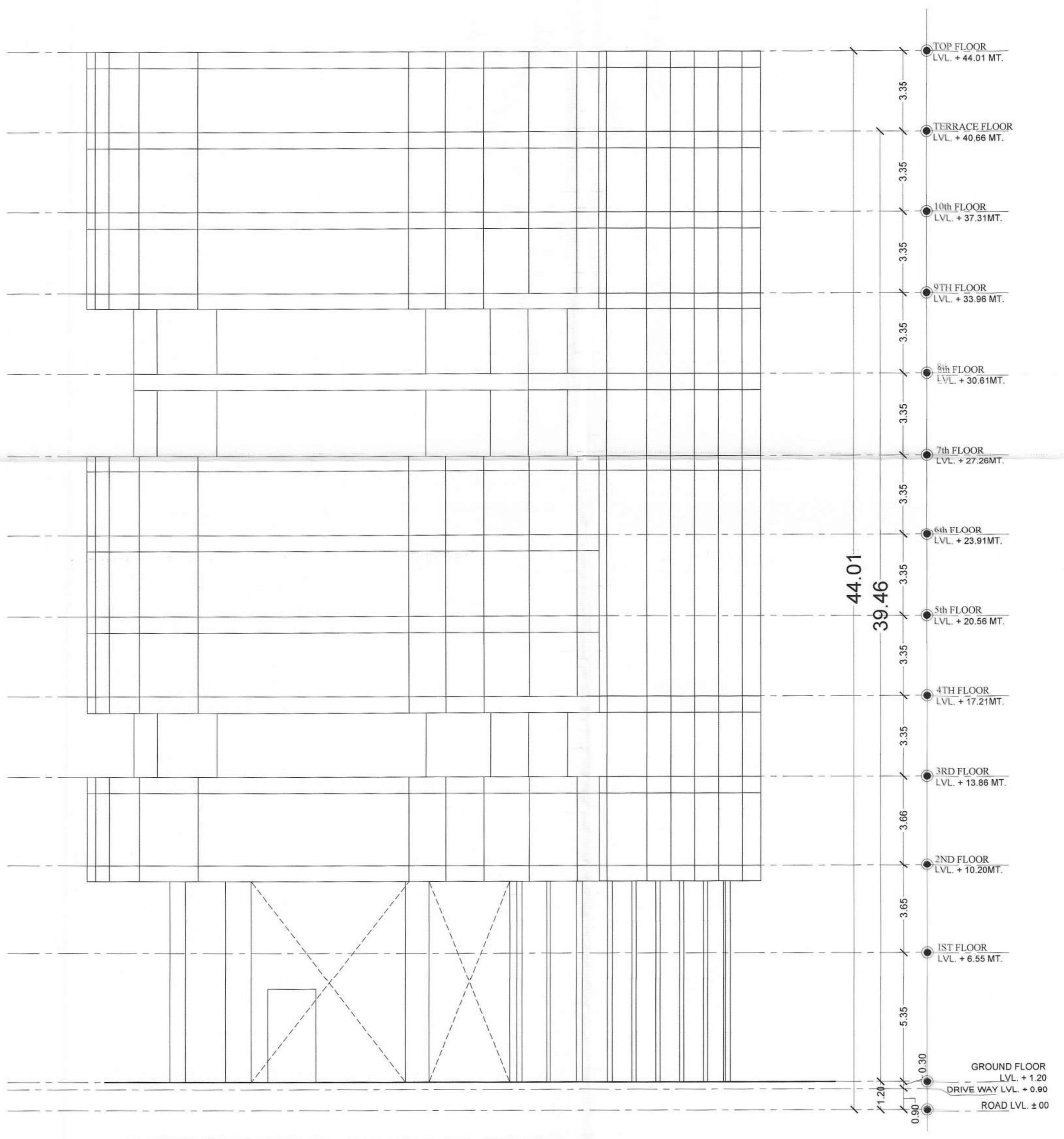

LEFT SIDE ELEVATION

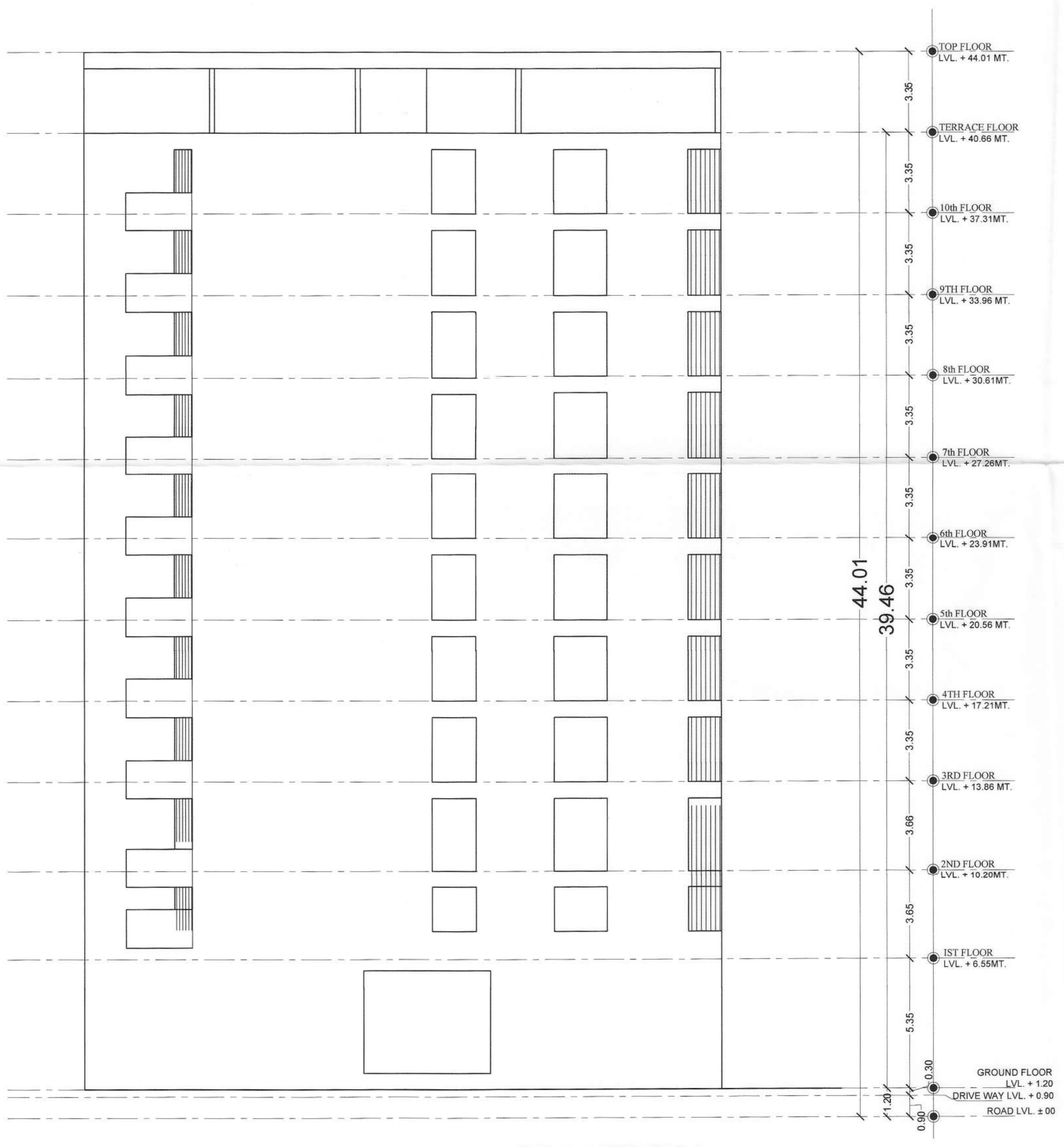

RIGHT SIDE ELEVATION

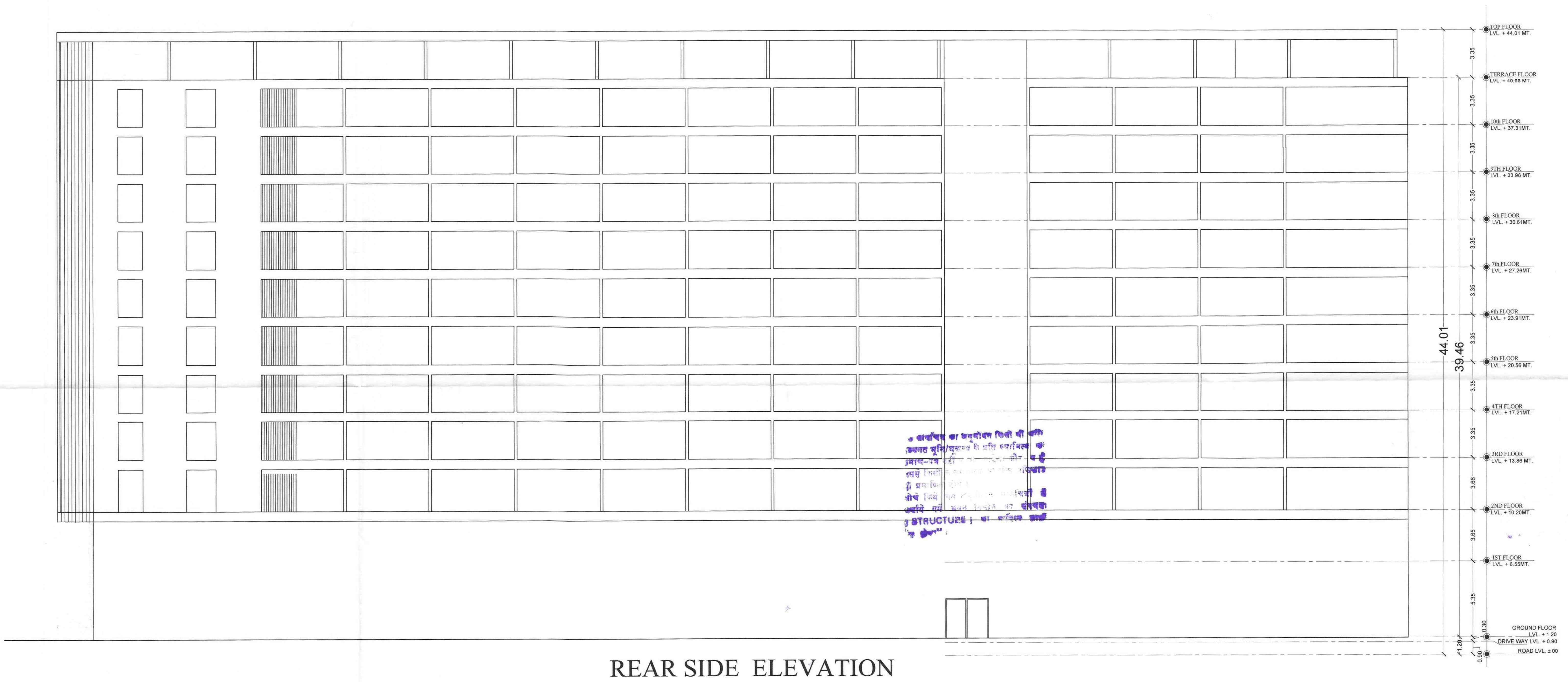

REAR SIDE ELEVATION

SHEET NO.08

ELEVATIONS

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
ELEVATIONS

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

वास्ते अशोक कुमार अग्रवाल
जरिये मुख्त्यारआम
(अनंत मेहता)

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

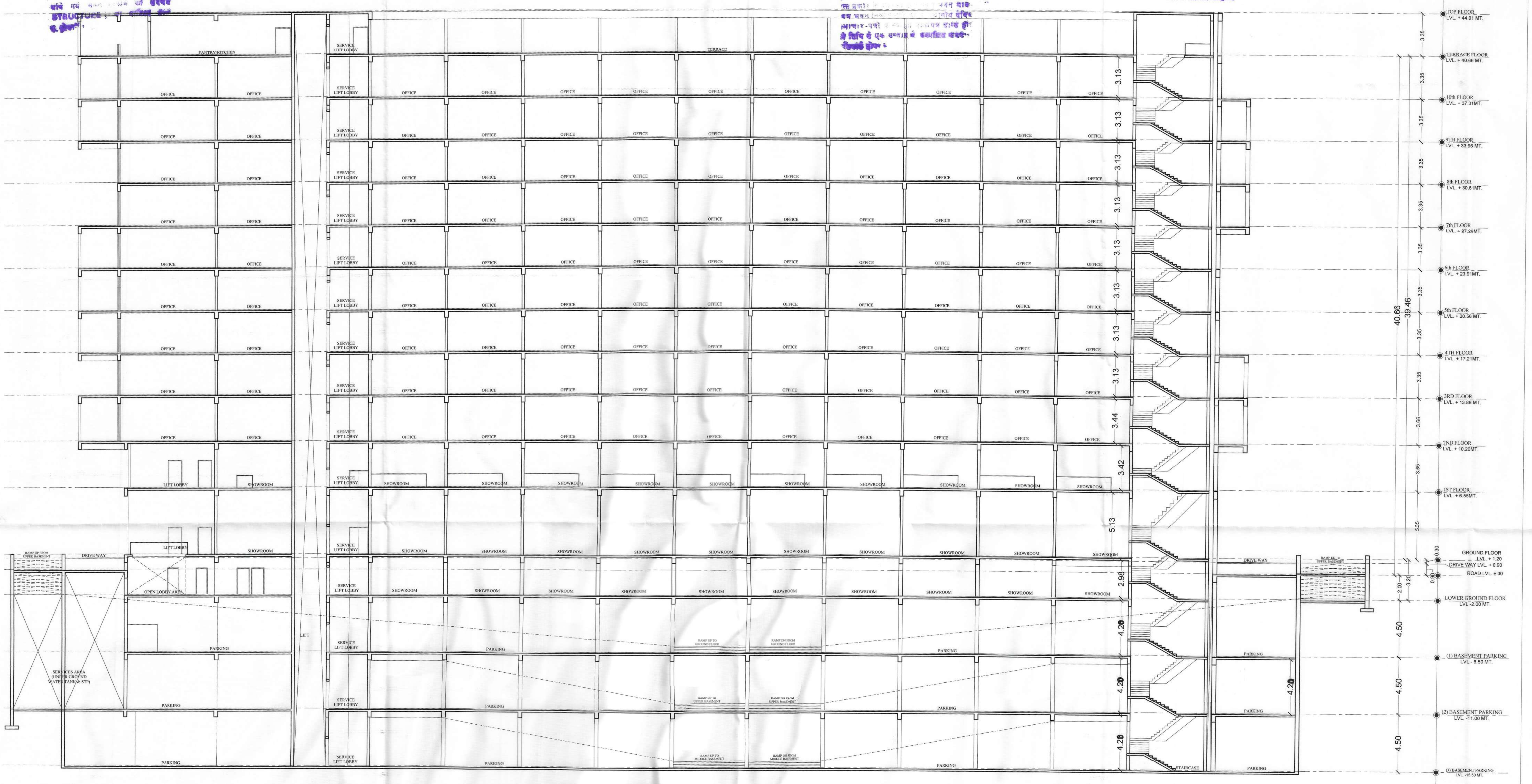

SECTION -A

SHEET NO.09

SECTIONS

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SITE ADDRESS:-
PROPOSED COMMERCIAL COMPLEX
AT PLOT NO. KHA.NO :- 111/2 (PART -B)
SCHEME - BRIJLALPURA, (NIJI KHATEDARI)
JAIPUR.

TITLE :-
SECTIONS

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150

NORTH POINT

वास्ते अशोक कुमार अग्रवाल
जरिये मुख्त्यारआम
(अनंत मेहता)

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT